न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—26/2018 प्रार्थना पत्र
श्री धर्मचन्द पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
——————प्रार्थी

बनाम

1—श्री मोहन लाल पिता उगमचन्द्र विश्नोई, उम्र बालिग निवासी बजरंगपुरा—पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—श्री गोपाल पिता भैरू माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला—पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री चांदमल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—श्री श्यामलाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
5—श्री राजू पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6—श्री सम्पतलाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—श्री आजाद पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 6615/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 6618 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 9725/6615 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7, के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 8 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 6.2.2019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 6615/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 6618 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 9725/6615 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 400/–रूपये (चार सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा